

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करेड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 268 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	268	आ० नं. 8582/1959 08939/1959, 8597	तहसीलदार करेड़ा द्वारा पटवार नम्बर अडुमार आ० नं. 8582/1959, 8939/1959, 8597/1959 में

मैतरीम सेग्रेगुसत में अशुद्ध का डी गव

तरीम शुद्ध किम जान का आदेश दिया जा रहा है

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

प्रमारी अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
करेड़ा  
2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 31

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा  
प्रमारी अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
करेड़ा

